

07.03.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे इस स्थगन प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः इस स्थगन प्रार्थना पत्र को जरिए Not Press के निस्तारित करना फरमावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस स्थगन प्रार्थना पत्र को जरिए Not Press खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Not
Press

321/23
शुभम चौधरी

